



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

डॉ. राजेश्वर सिंह
सहायक कुलसचिव/कार्यकारी कुलसचिव
Dr. Rajeshwar Singh
Assistant Registrar/Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक: 003/2014/शोध (वि.यो.)/311-02/2023
दिनांक: 18/03/2023

कार्यालयादेश

कार्यालयादेश क्रमांक: 003/2014/शोध (वि.यो.)/311-01/2023 दिनांक : 17/03/2023 के द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक : 17/03/2023 को प्रतिकुलपति कक्ष, वाचस्पति भवन में आयोजित की गयी थी। समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं के अनुसार निम्नलिखित शिक्षकों को संलग्न सूची में उनके नाम के आगे दर्शायी गयी राशि स्वीकृत की जाती है। यह स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत की जा रही है-

1. सभी शिक्षकों को प्रत्येक 3 माह में अपनी प्रगति आख्या प्रस्तुत करनी होगी।
2. सभी शिक्षकों को स्वीकृत की जाने वाली राशि का 90% प्राथमिकता के रूप में और शेष 10% अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद जारी की जा जाएगी।
3. नियत समय में कार्य पूरा न करने पर निर्गत की गयी समस्त राशि विश्वविद्यालय को वापस करनी होगी।
4. इस शोध कार्य हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त अवकाश देय नहीं होगा।
5. प्रत्येक शिक्षक को पत्र जारी होने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि में शोध परियोजना पूर्ण करनी होगी।
6. शिक्षक मदों का वितरण इस प्रकार कर सकते हैं-
 - (i) पुस्तकें/ जर्नल्स (जो विश्वविद्यालय अथवा ओपन सोर्स पर उपलब्ध नहीं हैं)
 - (ii) ई-रिसोर्सेज/सॉफ्टवेयर/टूल्स/तकनीकी सहयोग
 - (iii) सामग्री संकलन (Data Collections)
 - (iv) आनुषंगिक राशि (विश्वविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के अतिरिक्त)

सभी शिक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि समिति के सुझावों का पालन करते हुए प्रस्ताव को पुनः संशोधित/परिवर्धित कर दिनांक 21.03.2023 अपराह्न 02:00 बजे ई-मेल pvc.mgahv1@gmail.com पर प्रेषित करेंगे।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

18/03/23

(डॉ. राजेश्वर सिंह)
कार्यकारी कुलसचिव

संलग्नक : यथोपरि

प्रति (ईमेल द्वारा): समस्त संबंधिता

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय
3. अकादमिक निदेशक: क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज
4. प्रभारी: क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता
5. वित्ताधिकारी कार्यालय
6. लीला, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. रक्षित पत्रावली।